न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीपलू जिला–टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी रवि वर्मा (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

पत्र संख्या– 02/2020
पत्र प्रस्तुति दिनांक–01.01.2020
निर्णय दिनांक–28.10.2020

कानी पत्नि सूजा जाति माली निवासी ग्राम पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार, पीपलू जिला टोंक (राज0)

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

प्रवक्ता प्रार्थीया– श्री चतुर्भुज गुर्जर
प्रवक्ता अप्रार्थी– तहसीलदार, पीपलू

निर्णय दिनांकः–28.10.2020

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि राजी ख0न0 2240 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा वाके ग्राम पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। सका अंकन खाता संख्या 101 वाके ग्राम पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक में जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 0 पीपलू में हो रखा है। उक्त वर्णित आराजीयात में प्रार्थीया खातेदार काश्तकार हैं। उक्त वर्णित राजीयात में प्रार्थीया का नाम कानी पत्नि सूजा के स्थान पर काली पत्नि सूजा दर्ज जबकि आवेदिका के न जो राशन कार्ड, आधार कार्ड आदि बने हुए है उनमें आवेदिका का नाम कानी पत्नि सूजा दर्ज हैं। उक्त ी संहवन व लिपिकीय भूल के कारण हुई है। जिसकों सही किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। इस रण आवश्यक एवं न्यायसंगत होने के कारण न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया हैं।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी तहसीलदार, पीपलू की गई तथा अप्रार्थी तहसीलदार, पलू से राजस्व रिकॉर्ड की वास्तविक एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार, पीपलू ने राजस्व रिकॉर्ड वास्तविक व तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया की ग्राम पीपलू में स्थित आराजी ख0न0 2240 रकबा बीघा 04 बिस्वा भूमि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2071–74 के खाता संख्या 101 मे ख0न0 40 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा भूमि नहरी–2 काली धर्मपत्नि सूजा जाति माली सा. देह खातेदार के नाम दर्ज कॉर्ड है। ग्राम पीपलू की उक्त भूमि आराजी ख0न0 2240 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा किस्म नहरी–2 ग्राम पलू के नामान्तकरण संख्या 3121 द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से ही खातेदार काली धर्मपत्नि सूजा जाति ाली सा.देह खातेदार के नाम से उक्त भूमि दर्ज हुई है। उक्त भूमि जिस रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीदी है सी नाम से वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी उसी नाम से भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त त्रुटी संहवन व पिकीय भूल के कारण हुई है। जिसकों सही किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

हमने बहस उभयपक्ष सुनी। अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों का दोहराते हुए कहा कि आराजी ख0न0 2240 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा वाके ग्राम पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक स्थित है। जिसका अंकन खाता संख्या 101 वाके ग्राम पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक में जमाबंदी संवत् 071 से 2074 तह0 पीपलू में हो रखा है। उक्त वर्णित आराजीयात में प्रार्थीया खातेदार काश्तकार हैं। उक्त र्णित आराजीयात में प्रार्थीया का नाम कानी पत्नि सूजा के स्थान पर काली पत्नि सूजा दर्ज जबकि आवेदिका नाम जो राशन कार्ड, आधार कार्ड आदि बने हुए है उनमें आवेदिका का नाम कानी पत्नि सूजा दर्ज है। या ही प्रार्थीया अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन में आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, विक्रय पत्र, रामबाबू पुत्र ना जाति आचार्य निवासी ग्राम पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक का शपथ पत्र, एवं ग्यारसीलाल पुत्र काना ति माली निवासी ग्राम पीपलू का शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया कि भूमि आराजी ख0न0 2240 रकबा 01 ा 04 बिस्वा वाके ग्राम पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। जिसका विक्रय पत्र दिनांक 04.03.2011 विक्रेता द्वारा प्रार्थीया कानी धर्मपत्नि सूजा जाति माली निवासी ग्राम पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक के पक्ष हुआ था। जिसमे मे हम गवाह थे। उक्त विक्रय पत्र में प्रार्थीया ने अपना नाम कानी ही बताया था लेकिन समय रजिस्ट्री लिखते समय त्रुटी से कानी की जगह काली अंकित कर दिया गया, जो गलत है जबकि र्थीया का वास्तविक नाम कानी पत्नि सूजा है। जो शुद्ध किया जाना आवश्यक व न्याय संगत हैं। अप्रार्थी सीलदार, पीपलू ने उपस्थित होकर कथन किया कि आराजी ख0न0 2240 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा भूमि ाबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2071–74 के खाता संख्या 101 मे ख0न0 2240 रकबा 01 बीघा 04 स्वा भूमि नहरी–2 काली धर्मपत्नि सूजा जाति माली सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। ग्राम पीपलू उक्त भूमि आराजी ख0न0 2240 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा किस्म नहरी–2 ग्राम पीपलू के नामान्तकरण ख्या 3121 द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से ही खातेदार काली धर्मपत्नि सूजा जाति माली सा.देह खातेदार के से उक्त भूमि दर्ज हुई है। उक्त भूमि जिस रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीदी है उसी नाम से वर्तमान में स्व रिकॉर्ड जमाबंदी उसी नाम से भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त त्रुटी संहवन व लिपिकीय भूल के कारण हुई जिसकों सही किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।

हमने पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों व अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया उभयपक्ष बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात आधारकार्ड , भामाशाह कार्ड, विक्रयपत्र, रामबाबू पुत्र काना जाति आचार्य निवासी ग्राम पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक के शपथ पत्र, एवं रसीलाल पुत्र काना जाति माली निवासी ग्राम पीपलू के शपथ पत्र एवं तहसीलदार, पीपलू से प्राप्त रिपोर्ट स्पष्ट है कि प्रार्थीया काली एवं कानी दोनो नाम की एक ही महिला है। अतः खाता संख्या 101 में वर्णित राजी ख0न0 आराजी ख0न0 2240 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा वाके ग्राम पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक के स्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया काली धर्मपत्नि सूजा के स्थान पर कानी धर्मपत्नि सूजा दर्ज किया जाना न्यायोचित त होता हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णित आराजी प्रार्थीया का नाम काली धर्मपत्नि सूजा के स्थान पर कानी धर्मपत्नि सूजा दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान या जाता हैं। निर्णय आज दिनांक 28.10.2020 में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। वली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं नियमानुसार दफ्तर दाखिल हों।

उप खण्ड अधिकारी
(रवि वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी, पीपलू
जिला–टोंक

Scanned with CamScanner